हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्याः पीसीएच–एचए (3)4/07- I/605053 शिमला–09 दिनांक, 22-04-2025

अधिसूचना

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17.02.2025 जिसे दिनांक 21 फरवरी, 2025 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है के अन्तर्गत, जिला कांगडा के विकास खण्ड प्रागपुर की ग्राम सभा नलसूहा के मुख्यालय को बदलकर चमनाल में स्थापित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला कांगडा को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर विचार किया गया तथा तदनुसार उन पर आवश्यक विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप–धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, जिला कांगड़ा के विकास खण्ड प्रागपुर की ग्राम सभा नलसूहा के मुख्यालय को स्थान नलसूहा से बदलकर चमनाल में स्थापित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः उपरोक्त– I/605053 शिमला–09 दिनांक, 22-04-2025
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतूः–
1. उपायुक्त, जिला कागडा स्थित धर्मशाला हिमाचल प्रदेश ।
2. जिला पंचायत अधिकारी, जिला कांगडा स्थित धर्मशाला हिमाचल प्रदेश।
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
4. प्रधान सचिव, ग्राम पंचायत नलसूहा, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
5. ई–राजपत्र।

हस्ता-/
विशेष सचिव (पं0 राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।